न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

::: कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष 2024 :::

आदेश दिनांक 30.04.2024

मैं भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुना न्यायिक जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक एवं संशोधन पत्रकों को निरसित करते हुये यह नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के अनुमोदन उपरांत दिनांक 01.05.2024 से प्रभावशील होकर, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

अनुक्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्य क्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा
1	2	3	4
1	श्री भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– केन्ट, 2– यातायात,	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण (अनुक्रमांक–3 एवं अनुक्रमांक–4 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों एवं आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) एवं खात्मा प्रतिवेदन। 2. नगर पालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण एवं अपीलें। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– 1– आबकारी वृत्त गुना (1 एवं 2)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(स) संपूर्ण जिला–गुना	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में अंकित संपूर्ण जिला गुना के क्षेत्राधिकारांतर्गत – क. चलित न्यायालय। ख. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। ग. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक प्रकरण। घ. ऐसे समस्त अधिनियम/कार्यवाहियां, जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो। ड. धारा 306 द.प्र.सं. के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। च. अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट से संबंधित प्रकरण। छ. संपूर्ण गुना जिला क्षेत्राधिकारितांर्तगत के खारजी प्रतिवेदन। ज. वे समस्त प्रकरण/कार्यवाहियों, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में नहीं है अथवा इस आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन प्रकरण/कार्यवाहियों के विचारण/सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया हो।
		3(द) गुना, स्याना, एवं बमौरी तहसील क्षेत्र	1. स्तंभ क्रमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. श्रम निरीक्षकों/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण

		एवं आरक्षी केंद्र धरनावदा (गुना तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	ख. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।
2	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– कोतवाली, 2– म्याना 3– जी.आर.पी.	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुकमांक–3 एवं अनुकमांक–4 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद। ख. वन विभाग/वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) केन्ट	1. स्तंभ कमांक 3(स) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत– क. आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं.।
		3(द) आरक्षी केंद्र– म्याना, जी.आर.पी., केन्ट एवं कोतवाली	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच। ख. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
2-A	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय गुना	3(अ) म्याना एवं बजरंगगढ के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगर पालिका सीमा को छोड़कर)	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत – क. राजस्व तहसील गुना, म्याना एवं बजरंगगढ के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची–1 के भाग–1 एवं भाग–2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। ख. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

			ग. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
3	श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र 1– बमौरी	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुकमांक–4 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) बमौरी	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत– अ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,00,001 से 3,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(इ) आरक्षी केंद्र (1) बमौरी	1. स्तम्भ कमांक 3 (इ) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
		3(ई) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) फतेहगढ, (3) बजरंगगढ, (4) बमौरी	1. स्तंभ कमांक 3(ई) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द),

			493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।
		3(उ) आरक्षी केंद्र– केन्ट तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत	1. स्तंभ क्रमांक 3(उ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत – क– मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ख– मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ।
4	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र– (1) महिला	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) केन्ट, (2) म्याना, (3) सिरसी (4) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र महिला के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता अनुक्रमांक–4 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(द) आरक्षी केंद्र– महिला एवं केन्ट, म्याना, सिरसी एवं धरनावदा (गुना	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।

		तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	
5	श्री अभिजीत सिंह वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र फतेहगढ़	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुकमांक–3 एवं अनुकमांक–4 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– फतेहगढ़	1. स्तम्भ कमांक 3 (ब) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
6	श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र 1– सिरसी	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुकमांक–3 एवं अनुकमांक–4 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1 से 75,000 तक) की राशि के परिवाद।
7	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना		1. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

8	श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– धरनावदा	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुकमांक–3 एवं अनुकमांक–4 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 100,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– धरनावदा	1. स्तम्भ कमांक 3 (ब) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
9	श्री सुरेश बारगीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– बजरंगगढ	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुकमांक–3 एवं अनुकमांक–4 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ,	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 75001 से 1,00,000 तक) की राशि के परिवाद।

		(6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	
		3(ब) आरक्षी केंद्र– बजरंगगढ़	1. स्तम्भ कमांक 3 (ब) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
10	श्रीमती श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना		1. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
11	सुश्री रेनू खेस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन	3(अ) आरक्षी केंद्र– आरोन 1– राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) 2– कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) 3– आबकारी वृत्त – आरोन	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। (कंडिका 11 (3) में उल्लेखित किये गये थाना क्षेत्र से उदभुत ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ड. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। च. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। छ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ज. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– 1–आरोन, 2–राघौगढ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। नोट :– *आरक्षी केंद्र आरोन के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता अनुकमांक 11 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

		3(स) आरक्षी केंद्र– आरोन, राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,50,001 से अधिक) के परिवाद। 2. वन विभाग/वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र– आरोन, राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
12	श्री हीरालाल सिसौदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन		सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र– आरोन, राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1 से 2,50,000 तक) राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र– आरोन, राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। ख. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
13	श्रीमती आकांक्षा कात्याल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चाचौंडा	3(अ) आरक्षी केंद्र– चांचौड़ा,	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– चांचौडा, कुंभराज एवं मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध

			किये गये अपराध से उद्‌भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। नोट :– *आरक्षी केंद्र चांचौडा, कुंभराज एवं मृगवास के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता अनुक्रमांक **13** के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र– आबकारी वृत्त– चांचौडा	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्‌भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) तहसील– चांचौडा, मृगवास एवं कुंभराज	1. स्तंभ क्रमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद।
		3(इ) आरक्षी केंद्र– चांचौड़ा	1. स्तंभ क्रमांक 3(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ड. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(ई) आरक्षी केंद्र– चांचौड़ा, कुंभराज एवं मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(ई) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(उ) आरक्षी केंद्र– चांचौड़ा, मृगवास एवं कुंभराज	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (उ) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
13-A	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चांचौडा	3(अ) तहसील चांचौड़ा	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में अंकित राजस्व तहसील, के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची–1 के भाग–1 एवं भाग–2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

			3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
14	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांचौडा	3(अ) आरक्षी केंद्र– कुंभराज	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (अनुकमांक–13 की कंडिका 3 (ब) में उल्लेखित महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबंद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) तहसील– चांचौडा, मृगवास एवं कुंभराज	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 50,001 रूपये से 1,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– कुंभराज	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ड.. खनिज अधिनियम(Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3 (द) आरक्षी केंद्र– चांचौडा एवं कुंभराज	1. स्तम्भ कमांक 3 (इ) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
15	सुश्री प्रियम सेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांचौडा	3(अ) आरक्षी केंद्र– मृगवास	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (अनुकमांक–13 की कंडिका 3 (ब) में उल्लेखित महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबंद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

		3(ब) आरक्षी केंद्र–चांचौडा, कुंभराज एवं मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 01 रूपये से 50,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र–मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ड. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र–मृगवास	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
16	मो. जफर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़	3 (अ) आरक्षी केंद्र– राघौगढ, विजयपुर	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुक्रमांक–18 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र–राघौगढ, विजयपुर एवं जामनेर	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से

			संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र राघौगढ, विजयपुर एवं जामनेर के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता अनुक्रमांक 16 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र– आबकारी वृत्त– राघौगढ़	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र–राघौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़, जामनेर एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद।
		3(इ) आरक्षी केंद्र– राघौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़, जामनेर एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ड. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(ई) आरक्षी केंद्र– राघौगढ़, विजयपुर,	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (ई) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
17	श्री आशीष शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ	3(अ) आरक्षी केंद्र मधुसूदनगढ़, जामनेर	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुक्रमांक–17 एवं अनुक्रमांक–20 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र राघौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़, जामनेर एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 50,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद।

		3(स) आरक्षी केंद्र मधुसूदनगढ़, जामनेर	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
18	श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़	3(अ) आरक्षी केंद्र धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुक्रमांक–16 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– मधुसूदनगढ़, एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र मधुसूदनगढ, धरनावदा के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता अनुक्रमांक **18** के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र राघौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़, जामनेर एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1 से 50,000 तक) की राशि के परिवाद।

		3(द) आरक्षी केंद्र धरनावदा	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष महिला/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।

–: नोट :–

1. इस कार्य विभाजन/ वितरण आदेश की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद जिला गुना क्षेत्राधिकारांतर्गत स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र या वृत्त के किसी प्रकरण को प्रशासनिक कार्य व्यवस्था हेतु उचित एवं आवश्यक प्रतीत होने से सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सुनवाई/निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय से आहरित कर अन्य न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है, कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा और उक्त व्यवस्था से अन्यथा कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विर्निदिष्ट आदेश के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जावेगा।
2. पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु उक्त न्यायालयों में लंबित रिमांड पत्रावलियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पर प्रभावशील होने के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावेंगीं।
3. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में अन्य कोई आदेश प्रसारित न किये जाने तक संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर निराकृत किये जाने योग्य मामले/प्रकरण अनुसूची क्रमांक–''अ'' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर विधि अनुसार निराकृत किये जावेंगे।
4. धारा 164 द.प्र.सं. के अधीन कथनों एवं संस्वीकृतियों को लेखबद्ध करने के लिये अनुसूची–''ब'' के अनुसार व्यवस्था रहेगी।
5. संक्षिप्त विचारण का अभिलेख तैयार करने के लिये द.प्र.सं. की धारा 265(2) के उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।
6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त संक्षिप्त विचारण की शक्तियां प्राप्त समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भी चलित न्यायालय लगाने जाने बावत् पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर अपने–अपने थाना क्षेत्र में समय–समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे। किंतु न्यायालयीन समय में चलित न्यायालय लगाये जाने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी।
7. यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में ही प्रभावी रहेगा तथा यह कार्य विभाजन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना सहित किसी अधिनियम नियम अथवा अधिसूचना के विपरीत न होकर उसके अधीन ही प्रभावशील रहेगा।
8. तहसील गुना के क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 09 की धारा 125 से 128 से संबंधित समस्त भरण पोषण के प्रकरणों (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गुना को अधिकारिता होने से, उक्त प्रकरणों का विचारण/सुनवाई किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाएगा।
9. मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माना जावेंगे और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय गुना/चांचौडा द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जावेंगें। ग्राम न्यायालय गुना एवं तहसील चांचौड़ा से संबंधित म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय का पृष्ठांकन जारी दिनांक/कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् यह कार्यविभाजन ग्राम न्यायालय के संबंध में स्वतःप्रभावी होगा।
10. किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण गुना न्यायिक जिले के आपराधिक प्रकरणों को किशोर न्याय बोर्ड, गुना में प्रस्तुत किये जावेगा।
11. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, गुना के अवकाश पर रहने एवं स्थानांतरण की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अनुपस्थिति की

दशा में कम से कम एक सदस्य बोर्ड/मुख्यालय पर उपस्थित रहे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सहित बोर्ड के दोनों सदस्यगण की अनुपस्थिति की दशा में सर्वप्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य संपादित किया जावेगा।

12. जिला न्यायिक स्थापना, गुना एवं तहसील न्यायिक स्थापना आरोन, राघौगढ एवं चांचौड़ा पर पूर्व में कार्यरत रहें एवं वर्तमान में रिक्त किसी भी न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषाांगिक कार्यवाहिया और गुना जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपनी–अपनी क्षेत्राधिकारिता के आरक्षी केंद्र (आरक्षी केन्द्र केन्ट को छोडकर) अनुसार संपादित करेंगे।

13. आरक्षी केन्द्र केन्ट के स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषाांगिक कार्यवाहिया और गुना जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सुरेश बारगीया द्वारा संपादित की जावेगी।

14. आरक्षी केन्द्र केन्ट के अंतर्गत 52–ए की कार्यवाहिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राजकुमार तोरनिया द्वारा संपादित की जावेगी एवं शेष समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत अधिनियम की धारा 52–ए कार्यवाही संबंधी आवेदनों का निराकरण सुसंगत नियमों के अधीन करेंगे।

15. महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषाांगिक कार्यवाहिया और गुना जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां इस कार्यविभाजन/वितरण आदेशानुसार संबंद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित किया जावेगा।

16. अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश एवं निर्णय का निष्पादन किसी नाम निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा किये जाने के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय का विर्निदिष्ट आदेश होने पर उक्त नाम निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा ही तत्संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

17. पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त न्यायालय के आदेश/निर्णय के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय अनुसार निष्पादन कार्यवाही गुना जिला न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री चेतन बजाड़, आरोन तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रेनू खेस, राघौगढ़ तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आशीष शर्मा एवं चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती श्वेता अग्रवाल द्वारा संपादित की जावेगी।

18. सार्वजनिक अवकाश दिवसों में नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड डयूटी परिवर्तत/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

19. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को तथा बाह्यवर्ती स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

20. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना को संदर्भित कर उक्त संबंध में सुझाव या मार्गदर्शन लिया जावे।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गुना (म.प्र.)

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत यह कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष–2024 संलग्न अनुसूची ''अ'' एवं ''ब'' सहित दिनांक–01.05.2024 से प्रभावशील।

प्रतिलिपियां :– (ईमेल–मेसेज द्वारा)

पृष्ठांकन कमांक /2024 **गुना दिनांक 05.2024**

01	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला न्यायालय, गुना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02	माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एट्रोसिटीज), गुना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
03	माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
04	माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना/राघौगढ़/चांचौडा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
05	जिला कलेक्टर, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06	पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07	जिला रजिस्टार (सिविल कोर्टस) गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08	समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौडा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09	जिला अभियोजन अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को प्रेषित बावत्।
10	समस्त थाना प्रभारी की ओर पालनार्थ प्रेषित।
11	थाना प्रभारी, जी.आर.पी. गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12	उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन गुना की ओर समस्त खाद्य निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13	नापतोल निरीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14	कारखाना निरीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15	श्रम अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16	औषधी निरीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17	जिला वन मण्डलाधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18	जिला आबकारी अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
21	जेल अधीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22	फाईलिंग रिसीविंग सेन्टर, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
23	सांख्यिकी लेखक, जिला एवं सत्र न्यायालय गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
24	प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
25	अध्यक्ष अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26	सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा न्यायिक स्थापना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों की ओर प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला गुना म.प्र

न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

::: धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियॉ वर्ष 2024 :::
::: अनुसूची ''ब'' :::
प्रभावशील दिनांक 01.05.2024

क.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
1	आरक्षी केन्द्र शहर कोतवाली एवं म्याना सहित आरक्षी केन्द्र अजाक (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	श्री चेतन बजाड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
2	आरक्षी केन्द्र महिला (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
3	आरक्षी केन्द्र कैन्ट एवं बजरंगगढ़ (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
4	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, फतेहगढ़, बजरंगगढ़ एवं बमौरी (मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्रीमती श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
5	आरक्षी केन्द्र कैन्ट, म्याना, सिरसी एवं धरनावदा (गुना तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) सहित आरक्षी केन्द्र अजाक (मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
6	आरक्षी केन्द्र सिरसी, बमौरी, धरनावदा (तहसील गुना क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोडकर अन्य समस्त प्रकरण)	श्री अभिजीत वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना
7	आरक्षी केन्द्र फतहेगढ, (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
8	आरक्षी केन्द्र आरोन (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री हीरालाल सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
9	आरक्षी केन्द्र राधौगढ़ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्री हीरालाल सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
10	आरक्षी केन्द्र राधौगढ़ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री रेणु खेस, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
11	आरक्षी केन्द्र चाचौंडा एवं कुंभराज (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री प्रियम सेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चाचौंडा

12	आरक्षी केन्द्र मृगवास (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चाचौंडा
13	आरक्षी केन्द्र मधूसूदनगढ़ एवं धरनावदा (राधौगढ़ तहसील क्षेत्राधिरान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	मो. जफर खॉन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़
14	आरक्षी केन्द्र विजयपुर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़
15	आरक्षी केन्द्र राघौगढ, जामनेर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़

<u>नोट</u> – उपर्युक्तानुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन लिये जाने हेतु अनुसूची 'अ' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी एवं अनुसूची 'अ' के प्रभारी मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने की दशा में अन्य क्रमवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन लिये जायेंगे।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)